

23.05.25

पत्रावली वादी की ओर से वकील वादी द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो चुका है। अतः नोट प्रैस के आधार पर इसी स्तर पर विट्राल कना चाहता है। इस वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र नोट प्रैस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बंद तरीक़ा तक़रील होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय लिखा जाकर लुले न्यायालय में सुनाया गया।

R.W.  
23.05.25  
(किरण पाल)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

आ० अ० २५२  
प० अ० अ०  
23-5-25